

कार्यालय
पत्रांक:स-
सेवा मे,

संयुक्त

निदेशक

फायर सर्विस

मुख्यालय
दिनांक: मई

लखनऊ।
2013.

जे०डी०/लखनऊ-13(गा०)
170

16

✓ स्वामी/प्रबन्धक,
मैसर्स गुरुकुल दा स्कूल,
खसरा नं०- 1016, 1017 एनएच-24 ग्राम-डासना,
जनपद-गाजियाबाद।

विषय: मैसर्स गुरुकुल दा स्कूल, खसरा नं०-1016,1017 एनएच-24 ग्राम डासना जनपद गाजियाबाद मे निर्मित शैक्षिक भवन की कम्प्लीशन अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने के सम्बन्ध मे।

महोदय,

कृपया आवेदक के प्रार्थना पत्र के माध्यम से प्रश्नगत भवन की अग्निशमन व्यवस्थाओं की कम्प्लीशन अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

उक्त प्रश्नगत निर्मित भवन मे स्थापित अग्निशमन व्यवस्थाओं का निरीक्षण अग्निशमन अधिकारी कोतवाली गाजियाबाद द्वारा किया गया एवं उनकी आख्या पत्रांक:एस-6 एफएसके/2013 दिनांक: 09-05-2013 का परीक्षण मुख्य अग्निशमन अधिकारी गाजियाबाद द्वारा सुसंगत मानको के अनुसार किया गया तथा दोनो आख्याओं का उपनिदेशक फायर सर्विस मेरठ द्वारा परीक्षण कर आख्या अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध करायी गयी जिसके अनुसार विवरण निम्नवत है:-

क-भवन की संरचना:-

- 1-कुल प्लॉट एरिया:-10,566.98 वर्ग मी।
- 2-निर्मित भूतल कवर्ड एरिया-3,041.39 वर्ग मी०।
- 3-बेसमेन्ट कवर्ड एरिया-226.79 वर्ग मी०।
- 4-भवन की उचाई-14.10 मीटर लगभग है।

भवन का अधिमोग:-प्रश्नगत भवन का अधिमोग शैक्षिक भवन श्रेणी के अन्तर्गत वर्गीकृत किया गया है।

ख-ढांचागत व्यवस्थाएँ:-

- 1-पहुँच मार्ग:- भवन के सामने 60 मी० चौड़ा रोड एन०बी०सी० मानको के अनुसार उपलब्ध है।
- 2-प्रवेश द्वार:- भवन मे प्रवेश द्वार जिनकी चौड़ाई 06.00 मीटर मानको के अनुसार उपलब्ध है।
- 3-सैटबेक:- प्रश्नगत भवन के सैटबेक एन०बी०सी०-2005 के अनुसार चारो ओर 06-06 मी० मानको के अनुसार उपलब्ध है एवं भवन को पूर्व मान्यता प्राप्त है।
- 4-निकास मार्ग:- प्रश्नगत भवन भूतल पर निर्मित है भवन में प्रत्येक ब्लाक में 01 स्टेयर जिनकी चौड़ाई 01.20 मीटर निकास मार्ग समस्त स्थानो से ट्रेवल डिस्टेन्स अधिकतम अनुमन्य सीमा के अन्तर्गत है तथा भवन पूर्व मान्यता प्राप्त है।
- घ-अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था:- प्रश्नगत निर्मित भवन मे नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इण्डिया-2005 के अनुसार निम्नांकित अग्निशमन व्यवस्थाएँ एन०बी०सी० मानक के अनुसार स्थापित पायी गयी:-
 - 1-होजरील:-प्रश्नगत भवन मे होजरील, का प्राविधान एन०बी०सी० मानको के अनुसार स्थापित एवं कार्यशील दशा में पाई गई।
 - 2-टेरिस टैंक एवं टेरिस पम्प:- प्रश्नगत भवन के टेरिस पर 15,000 एवं 10,000 हजार ली० क्षमता का टेरिस टैंक तथा 450/900 एल०पी०एम० क्षमता का टेरिस पम्प कार्यशील दशा मे उपलब्ध है।
 - 3-डाउनकमर सिस्टम:-प्रश्नगत भवन में डाउनकमर सिस्टम मानको के अनुसार स्थापित है।
 - 4-प्राथमिक अग्निशमन उपकरण (फायर एक्सटिंग्यूशर):- भारतीय मानक ब्यूरो के आई०एस०-2190 के अनुसार कार्यशील दशा मे स्थापित पाये गये।
 - 5-आटोमेटिक स्प्रिंकलर सिस्टम:-प्रश्नगत भवन के बेसमेन्ट मे आटोमेटिक स्प्रिंकलर सिस्टम स्थापित है।
 - 6-एग्जिट साईनेज:-प्रश्नगत भवन मे मानको के अनुसार एग्जिट साईनेज स्थापित है।

संयुक्त निदेशक
फायर सर्विस मुख्यालय
उ०प्र०, लखनऊ



अतः उपरोक्तानुसार उपलब्ध अग्नि से सुरक्षा व्यवस्थाओं के आधार पर अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र निम्न शर्तों के अधीन निर्गत की जाती है:-

- 1- भवन प्रबन्धक को निर्देशित किया जायें कि भवन में अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाओं को सदैव कार्यशील दशा में बनाएँ रखने हेतु मैन्टीनेन्स सैडयूल बनाया जाये तथा उसी के अनुसार कार्यशील दशा में रखा जायें।
- 2- भवन में स्थापित अग्निशमन प्रणाली के संचालन हेतु नियमित प्रशिक्षित स्टाफ नियुक्त किया जाये।
- 3- भवन में स्थापित अग्निशमन व्यवस्थाओं में किसी प्रकार की त्रुटि पाये जाने पर इसकी सूचना अविलम्ब स्थानीय अग्निशमन केन्द्र को दी जाए।
- 4- भवन में किसी प्रकार का निर्माण कराये जाने से पूर्व अग्निशमन विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा।
- 5- प्रत्येक छः माह में एक बार भवन में कार्यरत सुरक्षा कर्मियों को मॉक ड्रिल / फायर ड्रिल कराई जायें तथा इमरजेंसी इवेक्यूशन प्लान बनाया जाए इसकी जानकारी सुरक्षा कर्मियों को प्रदान कराई जाए।
- 6- वर्ष में एक बार अग्निशमन विभाग से सिस्टम के कार्यशील होने का प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा।
- 7- भवन में स्थापित अग्निशमन व्यवस्थाओं के अनुरक्षण के अभाव में अथवा लापरवाही के कारण सिस्टम अकार्यशील दशा में पाये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व प्रबन्धक का होगा तथा निर्गत प्रमाण पत्र स्वतः ही निरस्त माना जायेगा।

अग्निशमन अधिकारी
अग्निशमन विभाग, फायर सर्विस मेरठ
मुख्यालय
लखनऊ

- प्रतिलिपि: 1- उपनिदेशक, फायर सर्विस मेरठ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
2- मुख्य अग्निशमन अधिकारी गाजियाबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
3- अग्निशमन अधिकारी कोतवाली गाजियाबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

